प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
1 बरेली 2 बदायूं 3 पीलीभीत 4 शाहजहाँपुर 5 मुरादाबाद
6 अमरोहा 7 रामपुर 8 बिजनौर 9 आगरा 10 मैनपुरी 11 अलीगढ़
12 मथुरा 13 एटा 14 हाथरस 15 शिकोहाबाद 16 मेरठ 17 बुलन्दशहर
18 मुजफ्फरनगर 19 सहारनपुर 20 गाजियाबाद 21 नोएडा 22 बागपत
23 कानपुर 24 घाटमपुर 25 इटावा 26 कन्नौज 27 फर्रुखाबाद 28 झांसी
29 ललितपुर 30 हमीरपुर 31 महोबा 32 उरई 33 बाँदा 34 इलाहाबाद
35 सिराथू 36 फतेहपुर 37 प्रतापगढ़ 38 औरैया 39 चित्रकूट 40 लखनऊ
41 हरदोई 42 सीतापुर 43 उन्नाव 44 लखीमपुर खीरी 45 रायबरेली
46 फैजाबाद 47 टाण्डा 48 सुल्तानपुर 49 गोण्डा 50 विश्नुपुरविश्राम पचपेड़वा
(बलरामपुर) 51 बहराइच 52 श्रावस्ती 53 बाराबंकी 54 वाराणसी 55 ज्ञानपुर
56 गाजीपुर 57 बलिया 58 जौनपुर 59 मिर्जापुर 60 चन्दौली 61 दुद्धी (सोनभद्र)
62 गोरखपुर 63 महराजगंज 64 आजमगढ़ 65 सहादतपुरा, मऊ 66 बस्ती 67 संतकबीर नगर
68 सिद्धार्थनगर 69 देवरिया 70 पडरौना
2. उप निदेशक (व्यवसायिक परीक्षा परिषद) उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2007/टी–2/1514/प्रवेश क्षमता–2007/ लखनऊ दिनांक 08–02–07

विषय: अगस्त 2007 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में रा0औ0प्र0 संस्थानों एवं शाखा संस्थानों में एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0 प्रवेश/प्रशिक्षण क्षमता–2007 तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना अन्तर्गत 17 संस्थानों में चयनित व्यवसाय सेक्टर की प्रवेश क्षमता–2007 के संबंध में।

महोदय,

कृपया आगामी सत्र 2007 के लिये समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा शाखा संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों की स्वीकृत कुल प्रशिक्षण क्षमता तथा प्रवेश क्षमता एन0सी0वी0टी0 एवं एस0सी0वी0टी0 का विवरण संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। सबंधन की पर्यवेक्षित स्थिति सम्बन्धी निदेशालय पत्रांक 4135/टी–2/1514/रा0औ0प्र0सं0 सबंधन/2006 दिनांक 19.12.2006 द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार डी0जी0ई0टी0 भारत सरकार द्वारा सत्यापित सबंधन प्राप्त एककों के अनुसार 2007 की प्रवेश/प्रशिक्षण क्षमता निर्धारित कर संलग्न प्रवेश क्षमता–2007 के कॉलम संख्या–7 पर एन0सी0वी0टी0 तथा गैर संबंधन प्राप्त एककों के अनुसार एस0सी0वी0टी0 प्रवेश क्षमता–2007 कालम संख्या–9 पर अंकित की गई है। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स हेतु चिन्हित 17 संस्थानों की प्रवेश क्षमता अलग से जारी की गई है। सेन्टर आफ एक्सीलेन्स योजना में प्रवेश आई0एन0सी0 के अनुमोदन के उपरान्त ही किये जायेंगे। उक्त व्यवसाय सेक्टर में समायोजित एवं पूर्व से चल रहे व्यवसायों को प्रवेश क्षमता से घटाकर प्रवेश क्षमता–2007 जारी की जा रही है जिसका विवरण संबंधित जनपद के फुटनोट पर अंकित है।

Ma-pa main letter

...र्ष 2007 मे अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य के अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डो एव अन्य क्षत्रो मे 25 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो की प्रवेश क्षमता जारी की जा रही है, साथ ही पूर्व से संचालित 14 एस0सी0पी0 संस्थानो में 04 व्यवसायो की वृद्धि की गई है इसके अतिरिक्त महिलाओं हेतु 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो मे फैशन टेक्नोलाजी एवं 20 संस्थानों मे हेयर एण्ड स्किन केयर व्यवसायो की क्षमता बढायी गयी है। इन 75 नये संस्थानो मे व्यवसाय फैशन टेक्नोलाजी, ड्रेस मेकिंग तथा हेयर एण्ड स्किन केयर व्यवसाय महिलाओ हेतु खोले गये है। उक्त नये संस्थानो मे निम्न नये व्यवसायों (जो पूर्व में प्रदेश मे संचालित नहीं थे) को प्रारम्भ किया गया है जिनकी प्रवेश अर्हता/अवधि निम्नवत् है:-

1. मैके0 कम्युनिकेशन इक्यूपमेन्ट मेन्टीनेन्स	–एक वर्षीय	– 10 वॉ पास (10+2) के अन्तर्गत
2. मैके0 कन्ज्यूमर इलैक्ट्रानिक्स	–दो वर्षीय	– हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित) अथवा उसके समकक्ष
3. फैशन टेक्नोलाजी	–एक वर्षीय	– इण्टरमीडिएट (10+2 पद्धति)
4. डाटा एन्ट्री आपरेटर	–6 माह अवधि	– हाईस्कूल (अग्रेंजी टाइप 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य) (वरीयता हिन्दी टाइप 30 शब्द प्रति मिनट अथवा कोई स्थानीय भाषा)
5. नेटवर्क टेक्नीशियन	–6 माह अवधि	– इण्टरमीडिएट (10+2 पद्धति)
6. कम्प्यूटर एडेड इम्ब्राइडरी एण्ड निडिल वर्क	–6 माह अवधि	– हाईस्कूल (बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य)

50 एस0सी0एस0पी0 नये संस्थानों की स्वीकृत सीटो में 60% सीटें अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षार्थी हेतु, 20% सीटें पिछडी जाति के लिए प्रशिक्षार्थियों के लिए तथा अवशेष 20% सामान्य वर्ग के प्रशिक्षार्थियों के लिये आरक्षित रहेंगी।

संलग्न प्रवेश क्षमता-2007 में यदि सबंधन प्राप्त एकको तथा प्रवेश क्षमता मे कोई भिन्नता प्रतीत होती है तो तत्काल निदेशालय में वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी (प्रशिक्षण) से सम्पर्क कर पुनरीक्षित स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

शासनादेश संख्या 1544/36-6-01-35 (SND) /99 दिनांक 03.8.2001 द्वारा कोपा व्यवसाय मे एस0सी0वी0टी0 प्रवेश क्षमता 2007 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा इलाहाबाद, रायबरेली, फैजाबाद, कादीपुर, गोण्डा एवं देवरिया में स्थगित रख जाने का निर्णय लिया गया है। अनुदेशक/साज-सज्जा व उपकरण उपलब्ध न होने के कारण गत वर्षो की भांति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोण्डा में व्यवसाय इन्स्ट्रूमेन्ट मैके0, बरेली,